

अज अदालत जिला कलक्टर

गुकाम

नागौर



प्रार्थीया

बनाम

अप्रार्थी

शिवराज पुत्र श्री डालूराम जाति जाट
निवासी भादवों की ढाणी तहसील खीचसर
जिला नागौरराजस्थान सरकार जरिये जिला
रसद अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा रसद स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 24 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की स्थिति में जारी हुए
05.06.20	<p>प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अधीन जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक-रसद/अभि./2020/656-660 दिनांक 30.04.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जिला रसद अधिकारी नागौर के उक्त आदेश की कियान्विति को स्थगित करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी की तामील नहीं हुई है, परन्तु प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.04.2020 पर आगामी पेशी तक रोक लगाई जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.6.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर, नागौर </p> <p>29/6/2020</p> <p>प्रार्थी शिवराज उपस्थित। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील शाओमि0 है। हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर </p>	<p style="text-align: center;">शिवराज</p> <p style="text-align: center;">शिवराज</p>

